करमा/सरकार 42/2021

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21–01–2026	पत्रावली पेश हुई। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। राजकीय अभिभाषक ने कथन किए कि प्रकरण वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–10–2000 उपखंड अधिकारी, खाजूवाला की प्रमाणित प्रति पेश नहीं कि गई। प्रकरण में प्रमाणित प्रति आदिनांक तक भी पेश नहीं है अतः रेवेन्यू कॉर्ट मैनुयल के नियम 30 के आलोक में प्रकरण को खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–10–2000 की प्रमाणित प्रति पेश नहीं है। पत्रावली में पूर्व पेशी दिनांक 08–01–2026 को अभिभाषक अपीलांट को वास्ते प्रमाणित प्रति पेश अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है। आदिनांक तक भी उक्त आदेश की पालना अमल में नहीं लाई गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि अभिभाषक अपीलांट प्रकरण को आगे चलाना नही चाहते है। अतः पत्रावली अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित नकल के अभाव में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते